परिपत्र संख्या 46/20/2018 -जीएसटी

फाइल संख्या 354/149/2017-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

कर अनुसंधान एकक

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 6 जून, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/महानिदेशक/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय कर (सभी)/प्रणाली महानिदेशालय

महोदया/महोदय,

विषय: प्रायरटी सेक्टर लेंडिग सर्टीफिकेट (पीएसएलसी), रिन्यूएवल एनर्जी सर्टीफिकेट्स (आरईसी) और इसी प्रकार के अन्य स्क्रिप्स पर लागू जीएसटी की दर - की बाबत ।

ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें रिन्यूएवल एनर्जी सर्टीफिकेट्स (आरईसी-REC) और प्रायरटी सेक्टर लेंडिग सर्टीफिकेट (पीएसएलसी-PSLC) के वर्गीकरण और उन पर लागू जीएसटी की दर के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए थे ।

2. इसके पहले किसी एक एफएक्यू (FAQ) के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था (दिनांक 27.07.2017 के विज्ञापन के तहत) कि एमईआईएस (MEIS)और अन्य स्क्रिप्स जैसे कि एसईआईएस (SEIS) और आईईआईएस (IEIS) ऐसी वस्तुएं हैं जिनका वर्गीकरण शीर्ष 4907 में किया जाता है और इन पर 12% की दर से जीएसटी लगाई जाती है जो कि जीएसटी की वह सामान्य दर है जो शीर्ष 4907 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगती है । इसके बाद 4907 के अंतर्गत वर्गीकृत ड्यूटी क्रैडिट स्क्रिप्स को जीएसटी से छूट दे दी गई थी । जबकि स्टॉक, शेयर या बॉड सर्टीफिकेट और इसी प्रकार के अन्य हक वाले दस्तावेज़ों (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स से अलग) को शीर्ष 4907 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और इन पर 12% की दर से जीएसटी लगाई जा सकती है ।

3. इसके बाद परिपत्र संख्या 34/08/2018-जीएसटी, दिनांक 01.03.2018 (क्रम संख्या 03) को जारी करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पीएसएलसी पर अधिसूचना संख्या 01/2017-केन्द्रीय कर (दर) की अनुसूची-।।। के क्रम संख्या 453 की अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत 18% की मानक दर से कर लगाया जाता है ।

4. इसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्क्रिप्स/सर्टीफिकेट्स जैसे कि आरईसी, पीएसएलसी आदि पर लागू की जाने वाली जीएसटी की दर को लेकर स्पष्टता में कमी दिखाई दी है ।

5. इस मामले पर फिर से विचार किया गया है । अधिसूचना संख्या 01/2017-केन्द्रीय कर (दर) की अनुसूची-।।। की क्रम संख्या 453 की अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत 18% की जीएसटी उन्हीं वस्तुओं पर लगाई जाती है जो कि उक्त अधिसूचना के अनुसूची I, II, IV, V या VI के अंतर्गत नहीं आते हैं । दूसरे शब्दों में यदि कोई वस्तु अनुसूची I, II, IV, V या VI की किसी प्रविष्टि के अंतर्गत आती है तो उस पर लगने वाली जीएसटी की दर के बारे में तद्नुसार निर्णय लिया जाएगा और ऐसा करने में अनुसूची-।।। की अवशिष्ट प्रविष्टि 453 पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

6. इस प्रकार आरईसी, पीएसएलसी आदि जैसे विभिन्न सर्टीफिकेट्स शीर्ष 4907 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और इन पर तदनुसार 12% की दर से जीएसटी लगाई जाएगी । हालांकि इसी शीर्ष के अंतर्गत आने वाले ड्यूटी पेइंग स्क्रिप्स पर जीएसटी की दर शून्य रखी जाएगी {अधिसूचना संख्या 02/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के क्रम संख्या 122 के अंतर्गत, जिसे अधिसूचना संख्या 35/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13.10.2017 के तहत संशोधित किया गया है } ।

7. तद्नुसार परिपत्र संख्या 34/08/2018-जीएसटी, दिनांक 01.03.2018 के क्रम संख्या 3 में संशोधन करते हुए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि रिन्यूएवल एनर्जी सर्टीफिकेट्स (आरईसी) और प्रायरटी सेक्टर लेंडिग सर्टीफिकेट (पीएसएलसी) और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को शीर्ष 4907 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन पर 12% की दर से जीएसटी लगाई जाती है । हालांकि अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2018 के क्रम संख्या 122क के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स पर जीएसटी की दर शून्य रखी गई है ।

8. इस बारे में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है ।

(डा.अजय कुमार)
तकनीकी अधिकारी
कर अनुसंधान इकाई(टीआरयू)